न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– हिमांशु गुप्ता, आई.ए.एस.

सप्लाई अपील प्रकरण सं.– 01/2022

अपीलार्थी	बनाम	**प्रत्यर्थी**
1–मैसर्स पप्पूराम गोलासनी उचित मूल्य दूकान, ग्राम पंचायत चौखा पंचायत समिति मण्डोर, जोधपुर।		1– राज्य सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी (प्रथम) जोधपुर।

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 विरूद्ध आदेश दिनांक 02.06.2010 जो विभागीय प्रकरण सं0 145/2010 सरकार बनाम मैसर्स पप्पुराम उ0मू0दू0 गोलासनी में जिला रसद अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :– **दिनांक 18.07..2022**

1– श्री धन्नाराम सोलंकी अधिवक्ता (अपीलार्थीपक्ष)

2– प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से विभागीय प्रतिनिधि उप0।

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 17.05.2010 को प्रवर्तन निरीक्षक नीलकमल माथुर द्वारा अप्रार्थी/अपीलार्थी मैसर्स पप्पूराम उचित मूल्य दूकान गोलासनी का निरीक्षण करने पर मौके पर दूकान बन्द पाई गई तथा दूकान के बाहर उचित मूल्य दूकान का बोर्ड नहीं लगा होने व दिनांक 15 से 21 तक रसद सामग्री के वितरण का बेनर भी नहीं लगा होना पाये जाने पर विक्रेता द्वारा मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जारी आदेशों की अवेहलना होने से प्राधिकार पत्र की शर्त सं0 2, 5 , 6, 8, 9, 10 का उल्लंघन होने की रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी जोधपुर को प्रस्तुत की गई। प्रवर्तन निरीक्षक की उक्त रिपोर्ट पर जिला रसद अधिकारी जोधपुर द्वारा दिनांक 21.05.2010 को अपीलार्थी/अप्रार्थी का अनुज्ञा पत्र निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। जिला रसद अधिकारी जोधपुर ने विभागीय कार्यवाही में दिनांक 02.06.2010 को

लगातार...

अपीलार्थी/अप्रार्थी को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त करने एवं प्रतिभूति राशि राज्यसात् करने का आदेश पारित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपीलमीमो मय प्रार्थना पत्र धारा 5, भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत हुआ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किया गया तथा अधीनस्थ कार्यालय का मूल अभिलेख भी मंगवाया गया। प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से दिनांक 13.07.2022 को जबाब प्रस्तुत होने एवं अधीनस्थ कार्यालय से मूल अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 13.07.2022 को गुणावगुण बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि जिस दिन प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया, उस दिन उसके काका की बेटी बहिन का विवाह होने से दूकान बंद रही तथा उचित मूल्य का बोर्ड जो लगाया हुआ था वो उस दिन मौसम खराब/आंधी के कारण उड़कर गिर गया इस कारण दिखाई नहीं दिया गया तथा जिला रसद अधिकारी द्वारा दिये गये नोटिस का जबाब में भी व्यक्त किया गया। अपीलार्थी/अप्रार्थी को बिना सुने ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया वो त्रुटिपूर्ण/विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। बहस में यह भी कहा कि अपील में हुए विलम्ब को क्षम्य करने का कारण प्रार्थना पत्र धारा 5, भा. परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है बहस के अन्त में अपील में हुए विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त कर अपीलार्थी का अनुज्ञापत्र बहान करने की प्रार्थना की गई।

प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत जबाब में बतलाया कि अपीलार्थी को विधिवत रूप से नोटिस जारी किया गया व सुनवाई का अवसर दिया गया। नियत तिथि को उपस्थित नहीं होने एवं प्रस्तुत जबाब के तथ्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया जो पूर्णतः विधि सम्मतः है। जबाब में आगे यह भी कहा कि अपीलार्थी को प्राधिकार पत्र निरस्त करने की जानकारी तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दे दी गई थी तथा अपीलार्थी के पास 12 वर्ष पश्चात् अपील करने का कोई विधिक आधार नहीं है। अपीलार्थी द्वारा कार्यालय में आकर उसकी दूकान की स्थिति की जानकारी लेनी चाहिए थी। अन्त में अपील सारहीन एवं मियाद बाहर होने से निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। अपील में हुए विलम्ब को क्षम्य (Condone) करने हेतु प्रार्थना पत्र अ/धा 5, भा. परिसीमा अधिनियम में व्यक्त किया कि वह कम पढा लिखा व्यक्ति है तथा उसको कानून की जानकारी नहीं थी तथा दूकान चलाने हेतु सम्पर्क करने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर दिनांक 19.05.2022 को अपीलाधीन आदेश की नकल का आवेदन करने एवं दिनांक 24.05.2022 को प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी होना बताया गया तथा कथनों के समर्थन में अपना शपथ पत्र भी पेश किया। प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र के विरोध में इतना ही कहा कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी पूर्व प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपीलार्थी को दी जा चुकी है,परन्तु पूर्व प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जानकारी करा दी गई हो, इस बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य

लगातार

प्रस्तुत नहीं किया गया, न काउन्टर शपथ पत्र पेश किया गया अतः न्यायहित में अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षम्य (Condone) करते हुए अपील अन्दर मियाद सुमार की जाती है। अपील का गुणावगुण निर्णय इस प्रकार किया जा रहा है। प्रत्यर्थीपक्ष के विभागीय प्रतिनिधि (प्रवर्तन निरीक्षक) द्वारा अपीलार्थी/अप्रार्थी की उचित मूल्य दूकान का निरीक्षण दिनांक 17.05.2010 को निरीक्षण करने पर मौके पर दूकान बंद होने एवं उचित मूल्य दूकान का सूचक बोर्ड लगा नहीं होने मात्र पर प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 5, 6, 7, 8, 9 व 10 की अवहेलना बताते हुए प्रत्यर्थीपक्ष में प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया गया। अपीलार्थी/अप्रार्थी पक्ष ने नोटिस के जबाब में स्पष्ट किया गया कि उस दिन उसकी काका की बेटी बहिन की शादी होने से दूकान बंद रही व मौसम खराब/आंधी के कारण बोर्ड उड़कर गिरा जाना बताया गया। अतः प्रथमतः तो जिला रसद अधिकारी को पुनः जांच करानी चाहिए कि क्या प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 5, 6, 7, 8, 9 व 10 की अवहेलना हुई? प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया अतः अपीलाधीन आदेश जारी करने से पूर्व दूकान का पुनः निरीक्षण नहीं करने पर भी प्राधिकार पत्र की शर्तो की अवहेलना मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल है जो विधि में शून्य है। अपीलार्थी/अप्रार्थीपक्ष द्वारा राशन सामग्री बेचने से मना करने, निर्धारित प्रपत्र में स्टॉक रजिस्टर का संधारण करना नहीं पाये जाने, मासिक शेष स्टॉक एवं सामग्री बेचान करने का का रिटर्न प्रस्तुत नहीं करने, जिला रसद अधिकारी की मांग पर अनुधाधारी अपने व्यापार से संबंधित सूचना सही नहीं करने, प्रत्येक रसद सामग्री का मूल्य का प्रदर्शन सदृश्य स्थान पर नहीं करना, अनुज्ञाधारी निश्चित समय पर दूकान नहीं खोलने तथा निरीक्षण के दौरान उचित समय में स्टॉक का हिसाब यानि रसद सामग्री का कुल प्राप्त, किये गये बेचान व अवशेष इत्यादि सभी तरह की सूचना सुविधाजनक से उपलब्ध नहीं कराने संबंधित तथ्य की पुष्टि बिना विस्तृत जांच किये करना नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध ही है। अतः बिना पूर्ण जांच किये मात्र दूकान बंद पाई जाने पर प्राधिकार पत्र निरस्त करने जैसा कठोर निर्णय लेना न्यायसंगत नहीं है तथा अपीलाधीन आदेश हस्तक्षेप योग्य है, परिणामस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए जिला रसद अधिकारी, प्रथम जोधपुर को पुनः सुनवाई के लिए प्रतिप्रेषित किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ कार्यालय को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो।